भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3568
मंगलवार,17 दिसंबर, 2024/26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

ऋण योजनाएं और सहकारी बैंक

3568.श्री तिरु दयानिधि मारन:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सहकारी प्रबंधन संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के लिए मंत्रालय की वर्तमान योजना और चल रही पहलों का ब्यौरा;
(ख) सहकारी शिक्षा और प्रबंधन प्रशिक्षण को मजबूत करने में राज्य सरकारों को समर्थन देने की मंत्रालय की योजना; और
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विकासात्मक उद्देश्यों के साथ राजस्व की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए मंत्रालय किस प्रकार योजना बना रहा है।

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) सर्वोच्च प्रशिक्षण निकाय के रूप में कार्य करती है, जिसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और प्रवर्तित किया जाता है।देश भर में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान और 14 सहकारी प्रबंधन संस्थान हैं। कक्षाओं, इमारतों और अन्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण सहित बुनियादी ढांचे के पुनरुद्धार के संबंध में, एनसीसीटी नियमित अंतराल पर प्रत्येक संस्थान की जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर अपने प्रशिक्षण और विकास कोष (टीडीएफ) के माध्यम से इस पुनरुद्धार का कार्य करता है।

(ख) मंत्रालय राज्य सहकारी विभागों, फेडरेशन और सहकारी संघों के साथ समन्वय करके सहकारी शिक्षा और प्रबंधन प्रशिक्षण को मजबूत करने में राज्य सरकारों का समर्थन करता है। एनसीसीटी और इसकी इकाइयों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **डिप्लोमा कार्यक्रम:** सहकारी क्षेत्र के गहन ज्ञान से व्यक्तियों को लैस करने के लिए दीर्घकालिक पाठ्यक्रम।
- **लघु अवधि एवं जागरूकता कार्यक्रम:** सहकारी प्रबंधन में कर्मचारियों, निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और सहकारी समितियों के सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रित प्रशिक्षण।
- **व्यावसायिक कार्यक्रम:** सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल पेशेवरों को विकसित करने हेतु उन्नत प्रबंधन प्रशिक्षण।

ये पहलें राज्य-स्तरीय सहकारी समितियों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की निरंतर धारा उपलब्ध कराती हैं।

(ग) एनसीसीटी अपनी प्रशिक्षण इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और

उन्हें आधुनिक व्यावसायिक रणनीतियों और वित्तीय प्रबंधन कौशल से लैस करके राजस्व सृजन के लिए सहकारी समितियों की क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई तरह के व्यवसाय विकास कार्यक्रम और निधि प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में विकासात्मक उद्देश्यों के साथ राजस्व को संतुलित करने के लिए कई पहल की हैं जैसे:

1. आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना

- बहुउद्देशीय पैक्स: आदर्श उपनियमों को अपनाकर पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाना।
- नई पहल: कवर न किए गए क्षेत्रों में नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना।
- खुदरा और सेवा केंद्र के रूप में पैक्स: पेट्रोल/डीजल आउटलेट, एलपीजी वितरक, पीएम जन औषधि केंद्र और पीएम किसान समृद्धि केंद्र संचालित करते हैं।

2. डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचा

- पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण: एक सामान्य ईआरपी-आधारित प्रणाली बनाने के लिए ₹2,516 करोड़ की परियोजना।
- माइक्रो-एटीएम: ग्रामीण क्षेत्रों में घर बैठे बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपकरण वितरित करना।
- केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटलीकरण: बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए विनियमन और सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करना।

3. ऋण तक बेहतर पहुंच

- रुपे किसान क्रेडिट कार्ड: सहकारी सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना।
- कर एवं अधिभार में कटौती: सहकारी समितियों के पास अधिक धनराशि बनाए रखने के लिए एमएटी एवं अधिभार में कमी।
- ऋण सीमा में वृद्धि: सहकारी बैंकों के माध्यम से आवास और स्वर्ण ऋण के लिए अधिक व्यक्तिगत ऋण की अनुमति दी जाएगी।

4. विविधीकरण और मूल्य संवर्धन

- कृषि-बुनियादी ढांचे का विकास: विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना।
- श्वेत क्रांति 2.0: डेयरी सहकारी समितियों के लिए दूध की खरीद और बाजार तक पहुंच बढ़ाना।
- एफपीओ और एफएफपीओ: बाजार संपर्क में सुधार के लिए किसान और मत्स्यपालक उत्पादक संगठन बनाएं।

5. नीति समर्थन

- स्थानीय उत्पादन के लिए प्रोत्साहन: आयात कम करने के लिए दालों और मक्का की खेती को समर्थन दिया जाएगा।
- छाता संगठन: यूसीबी और सहकारी समितियों को आईटी और परिचालन सहायता प्रदान करना।

6. कर और वित्तीय राहत

- नकद लेनदेन और निकासी सीमाएँ: सहकारी समितियों के लिए छूट और सीमाएँ बढ़ाई जाएँ।
- इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम: चीनी सहकारी समितियों के माध्यम से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना।

*****